

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए

02/09/2020 वकील शर्मा गिण उपस्थित। बहस
विडान अधिवक्ता शर्मा गिण सुनी गई।
पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का
ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया।
शर्मा गिण का वाद वर्णित घोषणात्मक
व साक्ष्य विषेधारा अदुल्लेख का निर्धारण
विस्तृत साक्ष्यों के आधार पर किया जाना
समिचीन होगा।

अतः इस न्यायालय के अंतर्गत
शर्मा गिण विषेधारा आदेश दिनांक 26/09/2019
को ताकतला वाद पुष्ट (Confirm) किया
जाता है। पत्रावली के तहत शुमार व दर्ज
नम्बरा से कुछ छोटा मूल्य वाद के संलग्न
रहे। निर्णय आज दिनांक 02/09/2020
को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपरखण्ड अधिकारी
खेड़ी (मुन्डू)

